ई–पत्रावली संख्याः 86863

संख्या– 1704, /IV(2)–श0वि0–2025–02(रिट)/25

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 11 सितम्बर, 2025

विषयः शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्याः 295/2022 In Re : Directions in the matter of demolition of structures एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्याः 12199–12200/2025 कनीज अहमद बनाम साबुद्दीन एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध अतिक्रमण/कब्जे के मामलों/शिकायतों में निकाय द्वारा की जाने वाली ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही निम्न मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार सम्पादित की जायेगीः–

(क) अवैध अतिक्रमण/कब्जे के प्रकरण में नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही–

(i) ध्वस्तीकरण की कोई भी कार्यवाही निकाय के सक्षम अधिकारी के स्तर से 15 दिन के पश्चात अथवा स्थानीय नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा निर्मित उपविधि में प्राविधानित समय, जो भी पश्चात्वर्ती हो, का कारण–बताओं नोटिस निर्गत किये बिना अमल में नहीं लायी जायेगी।

(ii) उपरोक्त 15 दिनों की अवधि की गणना नोटिस प्राप्तकर्ता को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(iii) सक्षम अधिकारी के स्तर से अवैध अतिक्रमणकारी/कब्जेधारी को जारी किये गये कारण–बताओं नोटिस की प्रति पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी, साथ ही उक्त नोटिस को प्रश्नगत संरचना (अतिक्रमण वाला भाग) के बाहरी हिस्से पर भी स्पष्ट रूप से चस्पा किया जायेगा।

(iv) कारण–बताओं नोटिस सम्यक् रूप से तामील होने की सूचना डिजिटल रूप में ई–मेल द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं कलैक्टर/जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा ई–मेल की प्राप्ति की अभिस्वीकृति स्वतः उत्पन्न उत्तर से जारी की जायेगी तथा सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी कार्यालय से सभी शहरी स्थानीय निकायों को तथा भवन विनियमितीकरण एवं ध्वस्तीकरण प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा।

(v) जनपद के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त सूचना पर नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे।

(vi) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उक्त आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया जायेगा, जिसमें कि, नोटिस के प्रेषण/चस्पा किये जाने, नोटिस के प्रत्युत्तर के क्रम में पारित आदेशों के विवरण सम्बन्धी उल्लेख किया जायेगा।

(vii) यदि निकाय की उपविधि में किसी अपील का प्राविधान है तो अपील हेतु निधार्रित अवधि में एवं यदि अपील का प्राविधान नहीं है, तो इस स्थिति में ध्वस्तीकरण की कोई भी कार्यवाही, नोटिस तामील होने के 15 दिन तक अमल में नहीं लायी जायेगी।

(ख) नोटिस का प्रारूप परिशिष्ट 'क' में वर्णित है।

(ग) व्यक्तिगत सुनवाई से सम्बन्धित कार्यवाहीः–

निकाय के सक्षम अधिकारी के स्तर से नोटिस प्राप्तकर्ता अतिक्रमणकारी/कब्जेधारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा सुनवाई उपरान्त तत्सम्बन्धी विवरण को पंजी में दर्ज किया जायेगा।

(घ) अंतिम आदेश पारित करने से सम्बन्धित कार्यवाहीः–

निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई उपरान्त अंतिम आदेश पारित किये जायेंगे तथा उक्त अंतिम आदेश में निम्न बिन्दुओं का समावेशन किया जायेगा–

(i) नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर में उल्लिखित तर्क।

(ii) यदि सक्षम अधिकारी उक्त तर्क से असहमत है, तो असहमति का कारण।

Scanned with OKEN Scanner

(iii) यदि अनधिकृत निर्माण शमनीय है, तो उसका विवरण, और शमनीय न होने के स्थिति में उक्त का कारण।

(iv) नोटिस प्राप्तकर्ता के तर्क से असहमति एवं प्रकरण के शमनीय न होने की दशा में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाये जाने की परिस्थितियों का कारण।

(ड़) ध्वस्तीकरण की कार्यवाहीः–

(i) सम्पत्ति स्वामी/कब्जेदार को अनधिकृत कब्जा हटाने/गिराने हेतु 15 दिन का समय दिया जायेगा। यदि उक्त अवधि में सम्पत्ति स्वामी/कब्जेदार द्वारा अनधिकृत कब्जा हटाया या गिराया नहीं जाता है तथा उस पर किसी अपीलीय प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं है, तो सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उस स्थिति में ही अनधिकृत कब्जे को ध्वस्त किया जायेगा, जब वह शमनीय न हो।

(ii) ध्वस्तीकरण से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट, जिस पर 2 पंचों के हस्ताक्षर होंगे, तैयार की जायेगी।

(iii) अनधिकृत निर्माण/अवैध कब्जे/अतिक्रमण के मामलों में अंतिम आदेश पारित होने के उपरान्त की जाने वाली ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की समुचित वीडियोग्राफी की जायेगी, तथा सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रक्रिया में सम्मिलित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य सम्बन्धित राजकीय कर्मियों का उल्लेख करते हुए तत्सम्बन्धी विवरण तैयार किया जायेगा।

(iv) उक्त ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी तथा डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

(v) यदि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, मा0 न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में पायी जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारीगण ध्वस्त की गयी सम्पत्ति की हानि के भुगतान के साथ–साथ पुनर्निर्माण का कार्य भी निजी व्यय से किये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।

2– उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्याः 295/2022 In Re : Directions in the matter of demolition of structures एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्याः 12199–12200/2025 कनीज अहमद बनाम साबुद्दीन एवं अन्य में पारित निर्देश ऐसे किसी प्रकरण में नहीं किया जायेगा, जहां किसी सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन या किसी नदी, या जल निकाय जैसे सार्वजनिक स्थान पर कोई अनधिकृत संरचना निर्मित हो और वहॉ भी जहाँ ध्वस्तीकरण के आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किये गये हो।

Scanned with OKEN Scanner

3– समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी),
अपर सचिव।

संख्याः 1704 /IV(2)–श0वि0–2025–02(रिट)/25, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल),
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय

नोटिस संख्या...../भूमि/2025 दिनांक.....

नोटिस बनाम

.....

.....

.....

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कर निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक की आख्यानुसार आपके द्वारा ग्राम/शहर/कस्बा/मौहल्ला.....के खसरा नं0..... जो कि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी.....रकबा.....वर्गमीटर भूमि नगर निगम, देहरादून के प्रबन्धन के नाम दर्ज कागजात है, पर आपके द्वारा रकबा.....वर्ग मीटर भूमि पर बिना किसी अनुमति के अवैध निर्माण (पक्का आवास/कच्चा आवास /झोपड़ी/घेरबाड़ आदि) कर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार हैः–

1. पूरब .....
2. पश्चिम .....
3. उत्तर .....
4. दक्षिण .....

अतः आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपने भू–स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज जोकि आपके विधिक कब्जों की पुष्टि करता हो को नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ससमय दस्तावेज प्रस्तुत करने पर दिनांक ..... को गठित समिति के सक्षम प्रातः 11:00 बजे नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय में आपको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा, जिस हेतु आप ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। समयान्तर्गत दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि आपके द्वारा सरकारी भूमि को खुर्द–बुर्द करने का प्रयास किया गया है तथा आपको अपने पक्ष में काई कथन नहीं करना है। जिसके उपरान्त अतिक्रमण हटाने की विविध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसमें हुए सम्पूर्ण व्यय की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। इसके उपरान्त आपके द्वारा किये जाने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(सम्बन्धित अधिकारी/सक्षम अधिकारी),
नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय

Scanned with OKEN Scanner